तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार	

राजस्व अपील संख्या 9/2014 देवाराम बनाम मांगीलाल अतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

06.06.2018

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट सरेचा में पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया गुणावगुण कर निर्णय के लिए कार्यवाही इस प्रकार से है कि अपीलान्ट देवाराम पुत्र प्रेमाराम ने यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट मांगीलाल पुत्र प्रेमाराम वगेरा (8) के पेश की है तथा नामान्तरकरण संख्या 1420 दिनांक 20.7.2013 को निरस्त करने हेतू निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत की बैठक का कोरम पूरा नही होने , बैठक में क्या-क्या प्रस्ताव लिए जाने के बाबत आम सूचना नोटिस बोर्ड पर नही देना , बैठक की निश्चित दिनांक पूर्व में तय नही होना, बैठक मे उप सरंपच आदि को सूचना नही देना । अपीलान्ट को सूचना नही देना यह सभी कानूनी गलती की है जो नैसर्गिक सिद्धोन्तों का खुलमखुला उल्लघन करना बताया है उनका यह भी तर्क है अपीलान्ट ने विकास अधिकारी के समक्ष ग्रम पंचायत की शिकायत की थी व पटवारी कि अनुपस्थिति में पारित किया गया नामान्तरकरण खारिज कि जाने योग्य है। हमारे समक्ष यह तथ्य विचारीणीय हो गया है कि इसी पक्ष द्वारा ग्राम पंचायत की कार्यावाही कर सन्देह व्यक्त किया जाता है तो हमारे विचार न्याय प्रक्रिया में सुव्यवस्थित निर्णय हेतू यह उचित रहेगा कि मामले में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सक्षम अधिकारी द्वारा जांच करवा लेनी चाहिए यहॉ यह उल्लेख करना भी मुनासिब समझते है कि प्रकरण में गुणावगुण कर जांच से किसी के हितो की अनदेखी नही होगी बल्कि सही न्याय करने मे सुविधा रहेगी इन तमाम तथ्यो की रोशनी में हम अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए मामला तहसीलदार लूणी को इस आदेश के साथ रिमाड किया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1420 दिनांक 20.7.2013 ग्राम पंचायत लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया को खारिज किया जाता है व तहसीलदार लूणी को निदेर्शित किया जाता है कि वह अपीलाधीन नामान्तरकरण के संबध में हितबद्ध काश्तकार पक्षकार की सुनवाई कर विधिसहमत नया नामान्तरकरण पारित करवावें।आदेश सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्फतर हो।

(हस्ताक्षर) 06/6/2018

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner